

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/2019/1552

दिनांक :- 11/9/19

संशोधन आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 238वीं बैठक दिनांक 30.08.2019 को आयोजित हुई। कार्यवाही विवरण में टंकण त्रुटिवश 238वीं बैठक दिनांक 30.09.2019 को सम्पन्न होना अंकित हैं।

अतः कार्यवाही विवरण में आंशिक संशोधन किया जाकर बैठक आयोजन दिनांक 30.09.2019 के स्थान पर दिनांक 30.08.2019 पढ़ा जावे।

(राजीव जैन)
सचिव

C.E.H.B./814
11/09/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, I/II/(मु), रा.आ.म., जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/II/III, रा.आ.म., जयपुर।
7. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/अति.मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव/विशेषाधिकारी (भूमि)/संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट)/भूमि अवाप्ति अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/सहायक सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
8. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)....., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

PS/TA/RE(HQ)/JDSA

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक

11/9/19